न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./44/2015/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. सुखराम पुत्र धनाराम 2. हरिकिशन पुत्र जांवता 3. श्रीमती मंगली पत्नी जांवता 4. रावलाराम पुत्र भारूराम उर्फ भोमाराम 5. गंगाविशन पुत्र भारूराम उर्फ भोमाराम 6. लुगोदेवी पत्नी भारूराम उर्फ भोमाराम, जाति विश्नोई, निवासी जाणियों का मगरा, नेड़ीनाड़ी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।	1. श्रीमती कुनणी देवी पुत्री अनाराम पत्नी रामाराम के, का. मु.— 1/1. केशाराम पुत्र रामूराम 1/2. जयकिशन पुत्र रामूराम 1/3. भागीरथ पुत्र रामूराम, जाति विश्नोई, निवासी जाणियों का मगरा, नेड़ीनाड़ी, हाल निवासी सऊओ की बेरी, मीठड़ा खुर्द, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर। 2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड ज़यपुर शाखा, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 3. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 345/2015 बउनवान कुनणी बनाम सुखराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हितेश कुमार गोयल रेस्पो. सं. 1/1 से 1/3 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—28.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01/वादीनी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा जाणियों का मगरा, नेड़ीनाड़ी के खसरा संख्या 161 रकबा 153 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 160 रकबा 13 बिस्वा भूमि आई हुई है। जो हम वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. उम्मेदा के समय से नाम थी। वादीनी के पिता अना तथा उसके भाई धन्ना के नाम पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी रेकार्ड संधारित हुआ। इसी प्रकार मौजा मायलों की बेरी के खेत खसरा संख्या 192 रकबा 130 बीघा 4 बीस्वा, खसरा संख्या 264 रकबा 48

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 191 रकबा 12 बिस्वा के खेत/भूमि का पर्चा लगान अना के भाई धन्ना के नाम से दर्ज होकर खातेदारी रेकार्ड संधारित हुआ। उपरोक्त खेतों में वादीनी के पिता अना का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा वादीनी के काका धन्ना का था। अना के स्वर्गवास के बाद उक्त खातेदारी खेतों में वादीनी को 1/2 हिस्से के अधिकार पैदा हो गये। वादीनी के पिता अना उर्फ उमास व प्रतिवादीगण के पूर्वज धन्ना सगे भाई थे जिनका संयुक्त हिन्दु परिवार था वक्त पैमाईश दोनों भाई साथ निवास करते थे इस कारण वक्त पैमाईश के मौजा जाणियों की बेरी के खसरा संख्या 161 व 160 का पर्चा लगान दोनों भाई उमा व धना के संयुक्त रूप से जारी हुआ लेकिन मौजा खारी वर्तमान मायलों की बेरी के खसरा संख्या 192, 264, व 191 का पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज धना अकेले के नाम से जारी हुआ। जबकि दोनों भाई धना व अना का बहिस्सा 1/2–1/2 होना चाहिये था। वादीनी अना की एक मात्र पुत्री थी। अतः वादीनी को उक्त खेत खसरों में 1/2 की खातेदारी घोषणा करते हुए आराजी का बंटवारा किया जावे। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित हुआ जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01/वादीनी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा जाणियों का मगरा, नेड़ीनाड़ी के खसरा संख्या 161 रकबा 153 बीघा 7 बिस्वा व खसरा संख्या 160 रकबा 13 बिस्वा भूमि आई हुई है। जो हम वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. उम्मेदा के समय से नाम थी। वादीनी के पिता अना तथा उसके भाई धन्ना के नाम पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी रेकार्ड संधारित हुआ। इसी प्रकार मौजा मायलों की बेरी के खेत खसरा संख्या 192 रकबा 130 बीघा 4 बिस्वा खसरा संख्या 264 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 191 रकबा 12 बिस्वा के खेत/भूमि का पर्चा लगान अना के भाई धन्ना के नाम से दर्ज होकर खातेदारी रेकार्ड संधारित हुआ। उपरोक्त खेतों में वादीनी के पिता अना का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा वादीनी के काका धन्ना का था। अना के स्वर्गवास के बाद उक्त खातेदारी खेतों में वादीनी को 1/2 हिस्से के अधिकार पैदा हो गये। वादीनी के पिता अना उर्फ उमास व प्रतिवादीगण के पूर्वज धन्ना सगे भाई थे। जिनका संयुक्त हिन्दु परिवार था वक्त पैमाईश दोनों भाई साथ निवास करते थे इस कारण वक्त पैमाईश के मौजा जाणियों की बेरी के खसरा संख्या 161 व 160 का पर्चा लगान दोनों भाई उमा व धना के संयुक्त रूप से जारी हुआ लेकिन मौजा खारी वर्तमान मायलों की बेरी के खसरा संख्या 192, 264, व 191 का पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज धना अकेले के नाम से जारी हुआ। जबकि दोनों

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भाई धना व अना का बहिस्सा 1/2–1/2 होना चाहिये था। वादीनी अना की एक मात्र पुत्री थी। अतः वादीनी को उक्त खेत खसरों में 1/2 की खातेदारी घोषणा करते हुए आराजी का बंटवारा किया जावे। जिस पर प्रतिवादीगण/अपीलांट्स द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाव दावे पर कोई गौर किये बिना ही उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। जो विधि की घोर अवहेलना है। जबकि विधि अनुसार जवाव दावे अनुसार तनकीयात कायम की जाकर उपभपक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की जानी होती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय की उक्त मंशा की विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की कभी मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 1 का कभी हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा–काश्त नहीं रहा है। किन्तु उक्त समस्त तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है जिसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। वक्त बहस वकील रेस्पों. ने भी पत्रावली रिमाण्ड किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 345/2015 बउनवान कुनणी बनाम सुखराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

28/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर